



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष स. 0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2420262 वेबसाइट- www.udalpurmc.org

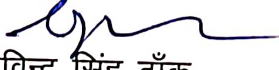
क्रमांक:- राजस्व/2022-23/831

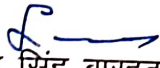
दिनांक:- 21/11/2022

निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर द्वारा " देहलीगेट पार्किंग " स्थित वाहन पार्किंग स्थल, जिसकी प्रारम्भिक बोली राशि 5.70 लाख रुपये वार्षिक है उक्त पार्किंग स्थल पर 2 वर्ष की अवधि के लिए वाहन पार्किंग कार्य हेतु सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तों की सूचना वेबसाइट <https://sppp.Rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारंभ तिथि 22/11/22 अन्तिम तिथि 01/12/22 तथा खुलने की तिथि 02/12/22 है।

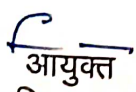
UBN No.-


गोविन्द सिंह टाँक
महापौर
नगर निगम उदयपुर


हिम्मत सिंह वारहत (R.A.S.)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर के उदयपुर संस्करण में तथा एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवायें तथा कार्यादेश की प्रति ई-मेल आई.डी. revenuesec2015@gmail.com पर प्रेषित करवायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को भेज कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम उदयपुर।


आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष स. 0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांक:- राजस्व/2022-23/831

दिनांक:- 21/11/2022

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम उदयपुर द्वारा निम्नलिखित स्थल पर वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	पार्किंग स्थल	प्रारम्भिक बोली राशि(रु.)	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति प्रथम वर्ष 5. 70 लाख व द्वितीय वर्ष 6. 27 लाख कुल 11.97 लाख का 2 प्रतिशत	निविदा अवधि
1	देहलीगेट पार्किंग	5,70,000 /-	1000+180 = 1180 /-	23940 /-	2 वर्ष

अतः उक्त स्थल पर वाहन पार्किंग के ठेके लेने के इच्छुक संस्था/फर्म/एजेन्सी उक्त स्थल के लिये निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये में नगर निगम कार्यालय अथवा <https://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये का डीडी आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा विक्रय दिनांक 22/11/22 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 01/12/22 को सायं 5.00 बजे तक रहेगा। बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम उदयपुर के नाम संलग्न करना होगा।

निविदा दिनांक 02/12/22 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 02/12/22 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें व अन्य जानकारी निगम की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है, जो निविदादाता को मान्य होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।


आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

नगर निगम वाहन पार्किंग स्थल पर पार्किंग व्यवस्था की शर्तें

1. निगम द्वारा दर्शाई गई प्रारंभिक राशि सांकेतिक है उपयुक्त पाए जाने पर अधिकतम दर देने वाले बिडर की दर अनुमोदित की जाएगी।
2. पार्किंग स्थल पर रखे गये सभी वाहनो की सुरक्षा का दायित्व सफल बिडर का रहेगा। पार्किंग स्थल में वाहन चोरी या अन्य दुर्घटना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी तथा उसके लिये यदि कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देय हुआ तो वह पूर्णतः सफल बिडर का दायित्व होगा।
3. पार्किंग स्थलों पर सफल बिडर द्वारा निम्नलिखित दर से राशि वसूल की जा सकेगी:-

साईकिल	2/-रुपया
मोटर साईकिल, स्कूटर, मोपेड	5/-रुपया
कार, जीप	10/-रुपया

नोट:- उपरोक्त दरें प्रति 2 घंटे के लिये मान्य होगी।

सफल बिडर द्वारा स्थाई रूप से वाहन रखने वालो के लिए मासिक पास की व्यवस्था करनी होगी। यदि सफल बिडर द्वारा किसी व्यक्ति के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन रखने के मासिक पास जारी किये जाते है तो वाहन वार पृथक-पृथक रसीदे जारी करनी होगी। मासिक पास का शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

मोटर साईकिल, स्कूटर मोपेड आदि	700.00 रुपया प्रतिमाह
कार, जीप आदि	1200.00 रुपया प्रतिमाह

4. पार्किंग कार्य का कार्यादेश अधिकतम दर देने वाले बिडर को स्वीकृत किया जाएगा।
5. बिड खोले जाने के पश्चात् अधिकतम दर देने वाले बिडर को दर अनुमोदन हेतु पत्र जारी किया जाएगा। इस दर अनुमोदन के पत्र के जारी होने के 7 दिवस के भीतर अनुबन्ध निष्पादन हेतु नियमानुसार स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, दोनों वर्ष की कुल राशि का 10 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में तथा प्रथम वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत भाग प्रथम किस्त के रूप में जमा कराने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जाएगा एवं कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्यारंभ किया जाएगा।
6. प्रथम वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि (द्वितीय किस्त) कार्यारम्भ की दिनांक से पांच माह पश्चात् किन्तु 6 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2022 है तो प्रथम वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि 1 जून 2022 से 30 जून 2022 के मध्य जमा करानी होगी।
7. द्वितीय वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत भाग तृतीय किस्त कार्यारम्भ तिथि के 11 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 12 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2022 है तो द्वितीय वर्ष की राशि 1 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 के मध्य जमा करानी होगी।
8. द्वितीय वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत शेष भाग (चतुर्थ किस्त) कार्यारम्भ तिथि के 17 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 18 वां माह समाप्त होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2022 है तो द्वितीय वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि 1 जून 2023 से 30 जून 2023 के मध्य जमा करानी होगी।
9. यदि सफल बिडर द्वारा दोनों वर्ष की राशि एकमुश्त अनुबन्ध के समय एक साथ एक मुश्त जमा करा दी जाती है तो दोनों वर्ष की कुल राशि पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

10. यदि सफल बिडर द्वारा प्रथम वर्ष की शेष राशि 50 प्रतिशत (द्वितीय किस्त) या द्वितीय वर्ष की 50 प्रतिशत राशि (तृतीय किस्त) या द्वितीय वर्ष की शेष 50 प्रतिशत (चतुर्थ किस्त) निर्धारित तिथियाँ नहीं जमा कराई जाती है तो निगम द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी:-

(क) पार्किंग स्थल को तत्काल प्रभाव से निर्धारित तिथि पश्चात् अधिग्रहित किया जाकर बिडर (संवेदक) की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करते हुये ऐसे बिडर को निगम की निविदाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम तीन वर्ष के लिए विवर्जित (डिबार) कर दिया जाए।

अथवा

(ख) बिडर (संवेदक) को किस्त जमा कराने की तिथि का विस्तार प्रदान किया जाए किन्तु विस्तारित अवधि के लिए देय दिनांक से वास्तविक रूप से जमा दिनांक तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाए।

उपरोक्त विकल्प क और ख का चयन आयुक्त नगर निगम द्वारा माननीय महापौर महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तथा पूर्णतया आयुक्त एवं माननीय महापौर महोदय के विवेकाधीन होगा जिसे बिडर (संवेदक) को मान्य करना होगा।

11. सफल बिडर को द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किस्त हेतु पोस्ट डेटेड चेक वक्त अनुबन्ध प्रस्तुत करने होंगे जिन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित तिथि या उसके पश्चात् बैंक को प्रस्तुत कर दिया जाएगा किसी भी कारण से चेक अनादरित हो जाने पर बिडर (संवेदक) को दूरभाष पर सूचित कर राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये जायेंगे।

ये पोस्ट डेटेड चेक निम्नांकित तिथियों के होंगे:-

• प्रथम वर्ष की द्वितीय किस्त	—	15 जून 2022
• द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त	—	15 दिसम्बर 2022
• द्वितीय वर्ष की द्वितीय किस्त	—	15 जून 2023

12. नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद व सरकारी वाहनों को परिचय पत्र बताने पर शुल्क से मुक्त रखा जायेगा किन्तु मासिक पास में किसी प्रकार की छूट/रियायत देय नहीं होगी।

13. सफल बिडर की स्वेच्छा से समय से पूर्व कार्य छोड़ने पर कोई जमा राशि नहीं लौटाई जायेगी।

14. जिस सफल बिडर के नाम पर कार्य स्वीकृत होगा वो ही पार्किंग शुल्क की राशि वसूली करने हेतु अधिकृत होगा। सफल बिडर द्वारा कर्मचारी रखे जाने पर उसके परिचय पत्र, मोबाइल नं. की सूचना राजस्व शाखा में प्रस्तुत करनी होगी।

15. नगर निगम/राज्य सरकार के किसी भी जनहित के कार्यक्रम होने पर पार्किंग स्थल को रिक्त रखना होगा जिसका सफल बिडर को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

16. सफल बिडर की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

17. पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम का वैधानिक कर्तव्य होने के कारण आर्टिकल 243 (W) के अन्तर्गत आता है। अतः पार्किंग सुविधा की इस निविदा पर जी.एस.टी. लागू नहीं है यदि भविष्य में किसी संशोधन के फलस्वरूप जी.एस.टी. देय होता है तो निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

18. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नेगोसियेशन करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/महापौर नगर निगम का रहेगा।

19. सफल बिडर को नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।

20. सफल बिडर नगर निगम, द्वारा बताये गये स्थल पर ही पार्किंग करने हेतु अधिकृत होगा।

21. निम्नांकित परिस्थितियाँ यदि दस दिवस या अधिक की अवधि के लिए घटित हो जाती हैं तो दस दिवस से अधिक दिनों की समयावधि में आनुपातिक वृद्धि की जाएगी। दस दिवस से कम होने पर कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
- (1) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उदयपुर शहर को बन्द रखे जाने पर।
 - (2) कानून व्यवस्था हेतु पार्किंग से सम्बंधित थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने पर।
 - (3) सड़क सुधार या अन्य किसी कारण से पार्किंग स्थल तक वाहनों के पहुँचने का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर।
22. निविदा स्वीकृति के पश्चात् नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क की रसीद बुक निगम स्तर पर तैयार करवायी जाकर निगम द्वारा ठेकेदार को दी जावेगी। रसीद प्रिन्टिंग का व्यय संवेदक को नगर निगम में अलग से जमा कराना होगा। नगर निगम द्वारा प्रदत्त रसीदों को ही ठेकेदार द्वारा वाहन मालिकों को दिया जावेगा तथा ठेकेदार को रसीदों का उचित रूप से रिकॉर्ड संघारित करना होगा।
23. निम्नलिखित परिस्थितियों में सफल बिडर के विरुद्ध प्रति अवहेलना पर 20,000/— रुपये की शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगी:—
- नगर निगम द्वारा जारी रसीद बुक के अतिरिक्त अन्य रसीद ठेकेदार देता हुआ पाया जाता है अथवा नगर निगम के राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान अवहेलना पाये जाने पर।
 - अव्यवस्थित पार्किंग व निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होने व जाँच उपरान्त उपरोक्त अनियमितता पाए जाने पर।
 - निगम द्वारा निर्धारित दरों की सूचना मौके पर सफल बिडर द्वारा सहज दृश्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम दो जगहों पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखकर प्रदर्शित करनी होगी अन्यथा प्रति अवहेलना पर 20,000/— रुपये शास्ति वसूल की जावेगी।
24. सफल बिडर को दिशा निर्देशों की पालना हेतु नगर निगम के पक्ष में संविदा हेतु 500/— रुपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
25. केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्धारित/आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर आदि लागू होने की अवस्था में सफल बिडर द्वारा वहन किया जायेगा।
26. एक वर्ष में 3 से अधिक शास्तियाँ आरोपित हो जाने पर सफल बिडर को सात दिवस का नोटिस दिया जाकर उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी जिसका अन्तिम निर्णय महापौर/आयुक्त नगर निगम उदयपुर द्वारा किया जायेगा जो सफल बिडर को स्वीकार करना होगा।
27. सफल बिडर द्वारा पार्किंग हेतु चयनित स्थान के बाहर खड़े वाहनों को यातायात पुलिस विभाग द्वारा जब्त करने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. सफल बिडर को स्वीकृत बोली राशि (प्रथम वर्ष+द्वितीय वर्ष 10 प्रतिशत बडोतरी के साथ) का 10 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में नगद/बैंक प्रतिभूति के रूप में आयुक्त नगर निगम के नाम जमा करनी होगी। यह राशि संतोषप्रद कार्य समाप्ति के बाद नियमानुसार लौटाई जायेगी।
29. सफल बिडर द्वारा पार्किंग स्थल पर नियुक्त कर्मचारी को संवेदक द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड एवं आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। पार्किंग के लिये नियुक्त कर्मचारी द्वारा आमजन के साथ शालीन व भद्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। अभद्र व्यवहार, नगर निगम द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड की पालना नहीं होने/सफल बिडर द्वारा जारी आईडी कार्ड नहीं होने की

शिकायत पाये जाने पर 500/- रुपये की शास्ति प्रति शिकायत सफल बिडर को निगम में जमा करानी होगी।

30. पार्किंग स्थल संबंधी समस्त विद्युत खर्च का भुगतान सफल बिडर द्वारा किया जायेगा। सफल बिडर द्वारा विद्युत खर्च संबंधी बिल नियमित रूप से भरे जायेंगे विद्युत बिल समय पर जमा नहीं करवाने पर पेनेल्टी आदि की समस्त जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। निविदा समयावधि समाप्ति पश्चात् निगम की विद्युत शाखा से समस्त विद्युत बिल के भुगतान एवं विद्युत उपकरणों की अनापत्ति प्रदान करने पश्चात् ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटाई जायेगी।
31. कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी कारणवश सफल बिडर द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ दिये जाने अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर सफल बिडर की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर संबंधित पार्किंग स्थल की निविदा प्रक्रिया से अधिकतम अगले 3 वर्ष हेतु विवर्जित कर दिया जायेगा।
32. बिडर को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे इनके अभाव में बिडर को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा—
 - पेन कार्ड।
 - आधार कार्ड।
 - फर्म/संस्था/कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
 - स्थायी निवास पता हेतु आई.डी. प्रुफ।
 - निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
 - धरोहर राशि की रसीद अथवा या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
 - क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का शपथ पत्र या पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।
33. अधिक जानकारी वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा (कमरा नं.-64) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।
34. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :-(Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वालो से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति **forfiet** नहीं की जा सकती। (नियम 48)
35. विलम्ब से प्राप्त बोलियां :- बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
36. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
37. करार का निष्पादन :-
 - (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
 - (2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

- (3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अंगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
- (4) सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।
- (5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल बिडर द्वारा वहन किया जाएगा।

38-The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule 1971

39-Refund of P.G. –

The Security Deposit will be release in the following stage

- after satisfactory performance certificate issued by In-Charge:-
- After 4 Months of Date Of work Completion.

40. Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

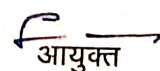
- a. Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:
 - (ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
 - (iii) If the Bidder that submitted the highest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

41. जुर्माना :-

- (क) वित्तीय बोलियों के सुनने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।
- (ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनों में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारों के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने योग्य नहीं होगा।
42. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागू होंगे।
43. सफल बिडर के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है एवं सफल बिडर द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
44. बिडर स्वयं पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो जावें तथा निगम में पार्किंग स्थलों हेतु निर्धारित स्थानों के नक्शे का अवलोकन कर ले। भविष्य में पार्किंग स्थलों के संबंध में कोई शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी।
45. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।


महापौर

नगर निगम उदयपुर


आयुक्त

नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम – पार्किंग स्थल देहलीगेट लिये पार्किंग ठेका
2. निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता—
(कृपया आई.डी.प्रुफ संलग्न करें)—
मो.नं.—
3. निविदा दाता का पेन नं. (प्रति संलग्न करें)
4. निविदादाता द्वारा वार्षिक दर जो दी अंकों में.....
जा रही है(दर सुपाद्य व पेन से अंकित करें) अक्षरों में.....

निविदादाता की घोषणा

मैं.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है मैंने निविदा की समस्त शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है तथा मैं निर्धारित शर्तों की पालना करने व मेरे द्वारा अंकित की गई वार्षिक दर के अनुसार राशि जमा कराने पर सहमत हूँ।

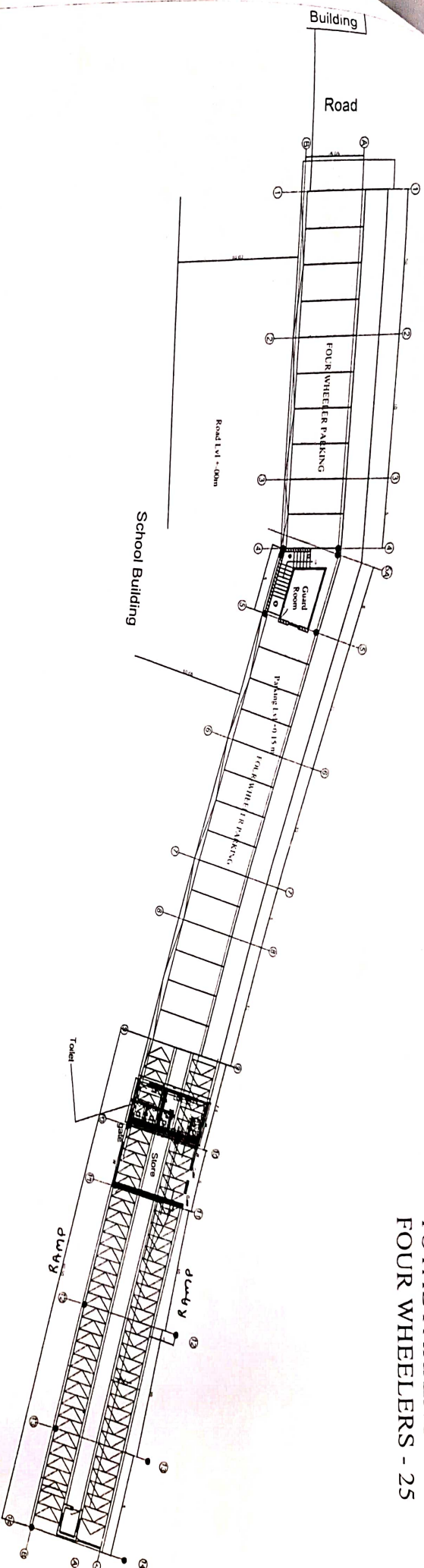
हस्ताक्षर:—

नाम:—

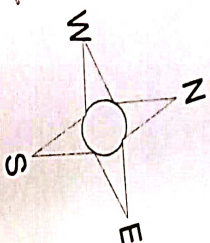
पता:—

मो.नं.:—

TOTAL PARKING
FOUR WHEELERS - 25

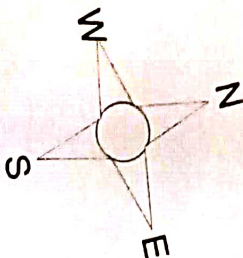


GROUND FLOOR PLAN



CLIENT:		CONSULTANTS		PROJECT	
UDAIPUR SMART CITY		 eptisa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.		PROPOSED PARKING AT DELHI GATE. UDAIPUR	
DATE		REV. NO.		NOTE	
				01. DIMENSIONS ARE IN METERS DRAWING TITLE: GROUND FLOOR PLAN SCALE: 1:1	
REVISIONS		BY		DRAWING NO. DESIGNED DATE DRAWN APPROVED	

TOTAL PARKING
TWO WHEELERS - 100



DRAWING NO		PROJECT		CONSULTANTS		CLIENT	
REVISED		PROPOSE PARKING AT DELHI GATE, UDAIPUR		eptisa		UDAIPUR SMART CITY	
DATE		NOTE		ALL DIMENSIONS ARE IN METER		DATE	
DESIGNED		DRAWING TITLE		FIRST FLOOR PLAN		REV NO	
SCALE		1 : 1				BY	
DRAWN		APPROVED				REVISIONS	